तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
20/11/17	[illegible] पेश हुई। वकील वादी/प्रतिवादी उप[illegible] राज. कार्य [illegible] पधारे हुये [illegible] दिनांक 8/12/17 को पेश हो।
8/12/17	[illegible] वकील वादी/प्रतिवादी उप[illegible] अधिकारी राज. कार्य [illegible] से माहुर / जयपुर पधारे हुये है। [illegible] पूर्ववत दिनांक 19-1-18 को पेश हो।
19/1/18	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित [illegible] अधिकारी राज. कार्य [illegible] —/ जयपुर पधारे हुये है। [illegible] दिनांक 20/2/18 को पेश हो।
20/2/18	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक गण ने आज [illegible] के कारण कोर्ट कार्य स्थगित रखा है। [illegible] पत्रावली दि. 28/3/18 को पे[illegible] अभिभाषक गण पेशी नोट [illegible]
28/3/18	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक गण ने आज [illegible] के कारण कोर्ट कार्य स्थगित रखा है। [illegible] पत्रावली दि. 4/5/18 को पेश [illegible] गण पेशी नोट [illegible] पुनश्च पत्रावली दि. 31/5/18 को कैम्प बूढादीत में पेश हो।
31/5/18	पत्रावली लोक अदालत केम्प बूढादीत में पेश हुई। वादी नं0 2 उपस्थित। वादी को मजमे आम में सुना गया। वादी नें कथन किये कि वादी नं0 1 रामरतन की मृत्यु हो चुकी है, जिसकी एकमात्र वारिस बेवा रामकन्या है, जिसे रिकॉर्ड पर लिया जाता है। वादी ने अन्य कथन किये कि ग्राम किशनगंज में पुराने ख0नं0 495 की 2 बीघा 16 बिस्वा वादीगण के काका कान्हा पुत्र नारायण को दिनांक 27.02.86 को नियमानुसार कीमतन आवंटन हुई थी तथा दखल भी दे दिया गया था तथा सम्पूर्ण राशि जमा कराने पर गैरखातेदारी में इंतकाल नं0 431 दिनांक 03.06.79 से दर्ज
केशरीलाल	

Scanned by CamScanner

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कर दी गई। कान्हा के कोई संतान नहीं थी इस कारण कान्हा उर्फ कन्हैयालाल की मृत्यु के बाद उनकी बेवा शंकरी बेवा कान्हा उर्फ कन्हैयालाल काबिज हुई। शंकरी ने अपनें जीवनकाल में उक्त भूमि की वसीयत अपनें जेठ के लडके वादीगण के नाम दिनांक 10.5.2001 को आलेखित कर दी तथा दिनांक 01.12.01 को शंकरी की भी मृत्यु हो गई। उक्त वसीयत के आधार पर वादीगण विवादित आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है। वाद सेटलमेंट ख0नं0 495 के नवीन ख0नं0 508 रकबा 0.53 हे0 कायम किये गये। कान्हा की मृत्यु के वाद उक्त भूमि शंकरी की गैरखातेदारी में दर्ज करनी चाहिए था किन्तु उक्त भूमि गैरखातेदारी में दर्ज न कर सिवायचक दर्ज कर दी गई। वर्तमान में वादी नं0 1 विरूद्ध 91 एलआरएक्ट की कार्यवाही की जा रही है। अन्त में वादी ने निवेदन किया कि विवादित भूमि ख0नं0 508 रकबा 0.53 हे0 भूमि को सिवायचक से हटाकर कान्हा उर्फ कन्हैयालाल पुत्र नारायण अथवा वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज कर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावें। मजमें आम में पत्रावली का अवलोकन किया, वादी नं0 1 द्वारा प्रस्तुत तर्कादि पर मनन किया। प्रकरण के सम्बन्ध में प्रस्तुत दस्तावेजात् पर विधिक विचारण किया। जवाब सरकार का अवलोकन किया। वादीगण आवंटी कान्हा के विधिक वारिसान् हो ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। जंहा तक वसीयत का सम्बन्ध है वसीयत में वसीयतकर्ता के न तो हस्ताक्षर अंकित है और न ही अंगूठा निशानी ही अंकित है। ऐसी स्थिति में यह नही माना जा सकता है कि वादीगण के पक्ष में वसीयत आलेखित की गई है। आवंटी से वादीगण का कोई सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि आवंटन ही निरस्त हो चुका हो। जिसके सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। वर्तमान में विवादित आराजी सिवायचक दर्ज है, जिस पर वादीगण अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है, जिनके विरूद्ध 91 एलआरएक्ट की कार्यवाही की जाती है। ऐसी स्थिति में विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाना अनुचित प्रतीत होता है। लिहाजा वाद वादीगण खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय मजमें आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा लोक अदालत केन्द्र बुढादीत

उनवान

1. रामरतन पुत्र भरत जाति बलाई मृतक जरिये कायम मुकामान–
   1/1 रामकन्या बेवा रामरतन जाति बलाई निवासी किशनगंज तहसील दीगोद जिला कोटा
2. कंवरीलाल पुत्र किशन लाल जाति बलाई निवासी किशनगंज तहसील दीगोद जिला कोटा

–वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88–89–188 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर–12/17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल रूबरू म–ब–म मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई एवं मिनजानिब मुद्दालयह लोक अदालत में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि " वाद वादीगण खारिज किया जाता है।" तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 31.05.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प मजहर सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(तारामणी वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner